LT-8928/75

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II
SECTION 3(i) AS G.S.R. NO. 1333, DT. 14.12.74

....

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi, the 28th Nov., 1974.
7 Agrahayana, 1896 S.E.

NOTIFICATION

G.S.R. No. 1333. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960. -

(i) In rule 37, in sub-rule (2), -

(a) for the words "to a person holding a certificate of approval and an income-tax clearance certificate in Form C from the Income-tax Officer concerned", the words "to a person holding a certificate of approval, an income-tax clearance certificate in Form C from the Income-tax Officer concerned and a valid clearance certificate referred to in rule 22(3)(i)(d)" shall be substituted;

(b) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, -

"Provided further that where the mortgagee is an institution or a Bank or a Corporation

2/-------

specified in Schedule V, it shall not be necessary for any such institution or Bank or Corporation to hold a certificate of approval, an income-tax clearance certificate and a valid clearance certificate."

(ii) in Schedule 1, in Form K, in Part VII, in Clause 17, in sub-clause (2), in the second proviso for the words "the said certificate of approval and the said income-tax clearance certificate", the words "the said certificate of approval, the said income-tax clearance certificate and the said valid clearance certificate" shall be substituted.

File No. 1(25)/73-MVI

Sd/-
(R.K.NAYAK)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

LT-8928/75

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) में जी0 एस0 आर0 1333 के रूप में दिनांक 14-12-74 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974
7 अग्रहायण, 1896 (शक)

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 1333 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1- (1) इन नियमों को खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2- खनिज रियायत नियमावली, 1960 में, -

(i) नियम 37 में, उपनियम (2) के अन्तर्गत -

(क) शब्द "अनुमोदन प्रमाण पत्र तथा सम्बद्ध आयकर अधिकारी से फार्म 'ग' में प्राप्त आयकर भुगतान प्रमाण पत्र धारी

-----2/-

व्यक्ति " के स्थान पर "अनुमोदन प्रमाणपत्र, निर्धारण आयकर अधिकारी से आयकर भुगतान प्रमाण पत्र और नियम 22(3)(i) (घ) में उल्लिखित वैध भुगतान प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति को " शब्द रखे जायेंगे ।

(ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाए, "

"आगे शर्त यह है कि यदि अनुसूची 5 में वर्णित निर्यातकार कोई संस्था, बैंक या निगम है, तो ऐसी किसी संस्था, बैंक या निगम के लिए ऐसा अनुमोदन प्रमाण पत्र, आयकर भुगतान प्रमाण पत्र और वैध भुगतान प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा ।"

(iii) दूसरे परन्तुक की अनुसूची I के फार्म 'के' में भाग 7 के धारा 17 की उप धारा (2) में आए शब्दों "कथित अनुमोदन प्रमाण पत्र और कथित आयकर भुगतान प्रमाण पत्र" के स्थान पर "कथित अनुमोदन प्रमाण पत्र, कथित आयकर भुगतान प्रमाण पत्र और कथित वैध भुगतान प्रमाण पत्र" शब्द रखे जायेंगे ।

फाइल सं0 1(25)/73-खान - 6

हस्ता0

(आर0 के0 नायक).
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

LT-8928/75

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II,
SECTION 3(ii) AS S.O.No. 125 DT. 11.1.1975

.....

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi, the 1st January, 1975.
Pausa 11, 1896 S.E.

No. 1(1)/73-MVI ....In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby specifies the 31st December, 1976 as the date within which all mining leases granted before the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972, if in force at such commencement, shall be brought into conformity with the provisions of the said Act and the rules made thereunder.

Sd/-
(R.K.NAYAK)
DEPUTY-SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Maya Puri, Industrial Area,
Nr. Rajouri Garden,
NEW DELHI.

LT-8928/75

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(ii) में एस0 ओ0 संख्या 125 के रूप में दिनांक 11-1-75 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1975

संख्या 1(1)/73-खान-6 --------- खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा - 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1976 की तारीख निर्धारित करती है जिस तक खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन से पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टे, यदि वे प्रवर्तन के समय लागू थे, कथित अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बना दिए जायेंगे ।

हस्ता0

(आर0 के0 नायक)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
औद्योगिक क्षेत्र,
पास राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली ।